बिलासपुर भास्कर 24-07-2025

कोयला घोटाले में संपत्ति अटैच करने को चुनौती, 10 याचिकाएं खारिज

बिलासपुर | बहुचर्चित कोयला घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा की गई 49.73 करोड़ की संपत्तियों की कुर्की को चुनौती देते हुए 10 याचिकाएं लगाई गई थीं। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच ने बुधवार को सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। सुनवाई पूरी होने के बाद हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। कोयला घोटाले के मामले में ईडी ने 30 जनवरी 2025 को पीएमएलए एक्ट 2002 के तहत सूर्यकांत तिवारी, उनके भाई रजनीकांत तिवारी, कैलाश तिवारी, दिव्या तिवारी, सौम्या चौरसिया, उनके भाई अनुराग चौरसिया, मां शांति देवी, समीर विश्नोई और अन्य के 100 से ज्यादा चल-अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया था। इसमें बैंक बैलेंस, नकदी, गाड़ियां, सोना और जमीन शामिल हैं। अटैच संपत्ति की कीमत करीब 49.73 करोड़ रुपए है। ईडी की कार्रवाई के खिलाफ अलग- अलग याचिकाएं लगाई गई थीं। बुधवार को दिए गए फैसले में हाई कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता ईडी की कुर्की को चुनौती देने योग्य पर्याप्त कानूनी आधार प्रस्तुत नहीं कर सके।